रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1978/फाल्गुन 27, 1899

No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1978/PHALGUNA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1978

सा० का० नि० 177 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक निस्सारित तेल, वितैलित भोजन और खाने योग्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम विलायक-निस्सारित तेल, वितैलित भोजन और खाने योग्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 है।

(2) यह अप्रैल 1978 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा और ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या न की गई बातों को छोड़कर, अपने प्रारम्भ की तारीख से बारह मास के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रहेगा।

2. विलायक निस्सारित तेल, वितैलित भोजन और खाने योग्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में खंड 2 के उपखंड (गग) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"(iii) प्रवर्ग 'च' के उत्पादक के सम्बन्ध में, "31 मार्च, 1978 को,"।

3. उक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) में, प्रवर्ग 'ङ' से सम्बन्धित मद (v) के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रवर्ग अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(vi) प्रवर्ग 'च' ऐसा उत्पादक, जिसके कारखाने में यद्यपि विलायक-निस्सारण संयंत्र नहीं लगा है, फिर भी वह ऐसे तेलों वाले पदार्थों से, जिन पर किसी अन्य उत्पादक के कारखाने में प्रत्यक्ष विलायक-निस्सारण प्रक्रिया की जाती है, वनस्पति विनिर्माण, औद्योगिक भारी तेलों, वसा विपाटन या वसा अम्ल विनिर्माण तक सीमित तेलों के प्रसंस्करण सम्बन्धी कारबार में नियोजित है, तथा इस प्रकार प्रसंस्कृत तेल को किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेचा जाता है और न अन्यथा अन्तरित किया जाता है, किन्तु वह किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिये स्वयं उसके अपने परिसरों में इस्तेमाल में लाया जाता है।"

4. उक्त आदेश के खंड 4 में,—

(i) उपखंड (1) के प्रथम परन्तुक में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"(ii) प्रवर्ग 'च' के उत्पादक की दशा में, फरवरी, 1978 से";

(ii) उपखंड (क) में, "प्रवर्ग 'ङ'" शब्द और अक्षर के पश्चात् "या प्रवर्ग 'च'" शब्द और अक्षर अन्त:स्थापित किये जायेंगे;

(iii) उपखंड (5) की मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"(क) प्रवर्ग 'च' के नये उत्पादकों की दशा में—150 रु०"।

5. उक्त आदेश के खण्ड 5 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि प्रवर्ग 'च' के उत्पादकों की दशा में, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि अनुज्ञप्ति जारी करने की

तारीख से बारह कलेण्डर मास या इस आदेश के अवसान की तारीख, इन में से जो भी पूर्वतर हो, होगी"।

6. उक्त आदेश की प्रथम अनुसूची में,—

(i) पैरा 1 में, "जिसने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व के बारह कलेण्डर मासों की अवधि के पूर्व के दौरान विलायक निस्सारित तेल का उत्पादन प्रारम्भ किया था, और" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"या

विलायक निस्सारण संयंत्र से सज्जित नहीं है, फिर भी वह ऐसे तेलों वाले पदार्थों से, जिन पर किसी अन्य उत्पादक के कारखाने में प्रत्यक्ष विलायक निस्सारण प्रक्रिया की जाती है, वनस्पति विनिर्माण, औद्योगिक भारी तेलों, वसा विपाटन या वसा अम्ल विनिर्माण तक सीमित तेलों के प्रसंस्करण सम्बन्धी कारबार में नियोजित है तथा इस प्रकार प्रसंस्कृत तेल को किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेचा जाता है और न अन्यथा अन्तरित किया जाता है, किन्तु वह जो किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिये स्वयं उसके अपने परिसरों में इस्तेमाल में लाया जाता है।

उत्पादक का नाम	अनुज्ञप्ति सं०	प्रवर्ग	कारखाने का नाम

(ii) पैरा 3 के उपपैरा (3) के नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायेगी, अर्थात्:—

"सारणी

एस० ई० ओ० (1)	—भाग (क)	क और ङ०
एस० ई० ओ० (1)	—भाग (ख)	क, ख, ग और घ
एस० ई० ओ० (1)	—भाग (ग)	च
एस० ई० ओ० (2)	—	ख, घ, ङ और च
एस० ई० ओ० (3), (4) और (5)		क, ख, ग, घ, ङ०, और च
एस० ई० ओ० (6)		क";

(iii) अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"केवल प्रवर्ग 'च' में अनुज्ञप्तिधारियों के लिये

(1) ऐसे तेल वाले पदार्थों से, जिन पर सीधे विलायक निस्सारण प्रक्रिया की जाती है, विलायक निस्सारित तेल और वितेलित भोजन का विनिर्माण पैरा 1 में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के कारखाने/कारखानों में ही किया जा सकता है न कि अन्य किसी कारखाने में।

(2) उपरोक्त (1) में निर्दिष्ट विनिर्माण स्थल के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि—

(i) विलायक-निस्सारित तेल न तो बेचा जाये और न अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित किया जाये, किन्तु उसका उपयोग उसके द्वारा किसी अन्य वस्तु के विनिर्माण के लिये उसके अपने परिसर में किया जाये;

(ii) कोई भी वितेलित भोजन, विक्रय के लिये या पशुओं के चारे के रूप में उपयोग के लिये उसके द्वारा तब तक न प्रस्थापित किया जाये जब तक कि वह चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्वालिटी के मानकों के अनुरूप न हो"।

7. उक्त आदेश की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) मद 4 में,--

(i) उपमद (i) में,--

क. (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
"(घ) वनस्पति, औद्योगिक भारी तेल, वसा विपाटन या वसा अम्ल;";

ख. "और (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "(ग) और (घ)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे,

(ii) उप मद (iii) में, "और (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "(ग) और (घ)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे;

(ख) मद 7 में--

(i) प्रारम्भिक पैरा में, "विक्रय के लिये" शब्द के पश्चात् "या स्थैतिक उपयोग के लिये" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे;

(ii) उप मद (ख) में, "प्रवर्ग 'ङ' " शब्द और अक्षर के पश्चात् "या प्रवर्ग 'च'" शब्द और अक्षर अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त आदेश की सातवीं अनुसूची में,--

(i) प्ररूप एस० ई० ओ० (1) भाग (ख) और उसके नीचे सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

'भाग (ग)—वनस्पति, औद्योगिक भारी तेल वसा विपाटन या वसा अम्ल संयंत्र।

तेल वाले पदार्थ का नाम	तेल वाले पदार्थ का प्रारम्भिक स्टाक	तेल वाले पदार्थ की कितनी मात्रा पर सीधे विलायक निस्सारण प्रक्रिया की गई	उत्पादन		तेल वाले पदार्थ का उपयोग		तेल वाले पदार्थों का शेष स्टाक
			तेल	वितेलित भोजन	विलायक निस्सारण के लिये	अन्यथा निपटाये गये	

(ii) प्ररूप एस० ई० ओ० (2), (3), (4) और (5) में,—

(क) शीर्षक में, "और 'ङ' " शब्द और अक्षर के स्थान पर " 'ङ' और 'च' " अक्षर और शब्द रखे जायेंगे,

(ख) पाठ्य में, "प्रवर्ग 'ङ'" शब्द और रखे अक्षर के स्थान पर "प्रवर्ग 'ङ' और 'च' " शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

[2 एस० ई० ओ० (1)/77]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1978

G.S.R. 177(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force from the 1st day of April, 1978, and shall cease to operate on the expiry of twelve months from the date of its commencement except as respects things done or omitted to be done before such cessor.

2. In the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967 (hereinafter referred to as the said Order), in sub-clause (cc) of clause 2, after item (ii), the following item shall be inserted, namely :—

"(iii) on the 31st March, 1978 in respect of producer of Category 'F',"

3. In sub-clause (2) of clause 3 of the said Order, after item (v), relating to Category 'F', the following item and category shall be inserted, namely –

"(vi) Category 'F'—in respect of a producer whose factory though not equipped with solvent extraction plant is still engaged in the business of processing of oils restricted to vanaspati manufacture, industrial hard oils, fat splitting or fatty acid manufacture from oil bearing materials subjected to direct solvent extraction in the factory of any other producer and the oil so processed is not sold or otherwise transferred to any other person, but is used by him in his own premises for the manufacture of any other commodity".

4. In clause 4 of the said Order,—

(i) in the first proviso to sub-clause (1), after item (ii), the following item shall be inserted, namely :—

"(iii) from the .....February, 1978, in the case of producer of Category 'F',";

(ii) in sub-clause (A), after the word and letter "Category 'E' ", the words and letter "or Category 'F' " shall be inserted;

(iii) after item (i) of sub-clause (5), the following item shall be inserted, namely :—

"(ia) in the case of new producers of Category 'F', Rs. 150".

5. In clause 5 of the said Order, after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided further that in the case of producers of Category 'F', the period of validity of the licence shall be twelve calendar months from the date of issue of the licence or shall end with the date of expiry of this Order, whichever is earlier".

6. In the First Schedule to the said Order,—

(i) in paragraph 1, before the sub-paragraph beginning with the words "who commenced production of solvent extracted oil" and ending with the words "the date of application, and", the following shall be inserted, namely :—

"or

not equipped with a solvent extraction plant, is still engaged in the business of processing of oils restricted to vanaspati manufacture, industrial hard oils, fat splitting or fatty acid manufacture from oil bearing materials subject to direct solvent extraction in the factory of any other producer and the oil so processed is not sold or otherwise transferred to any other person, but is used by him in his own premises for the manufacture of any other commodity.

Name of Producer	Licence No.	Category	Name of Factory
			";

(ii) for the Table below sub-paragraph (3) of paragraph 3, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

S.E.O.	(1) —Part (a)	A and E
S.E.O.	(1) —Part (b)	A, B, C, and D
S.E.O.	(1) —Part (c)	F
S.E.O.	(2) —	B, D, E and F
S.E.O.	(3) (4) and (5)	A,B,C,D, E and F
S.E.O.	(6)	A";

(iii) the following shall be added at the end, namely :—

"For Category 'F' licensees only

(1) The manufacture of solvent extracted oil and de-oiled meal from the oil bearing materials subjected to direct solvent extraction may be carried out only in the factory/factories of the producers specified in paragraph 1, and not in any other factory.

(2) Notwithstanding the place of manufacture referred to in (1) above, it will be the responsibility of the licensee to ensure that,—

(i) solvent-extracted oil is not sold or otherwise transferred to any other person, but is used by him in his own premises for the manufacture of any other commodity;

(ii) no de-oiled meal is offered by him for sale or for use as live-stock feed unless it conforms to the standards of quality specified in the Fourth Schedule".

7. In the Second Schedule to the said Order,—

(a) in item 4,—

(i) in the sub-item (i),—

(A) after (c), the following shall be inserted, namely :—

"(d) vanaspati, industrial hard oils, fat splitting or fatty acid ;" ;

(B) for the word, bracket and letter "and (c)", the brackets, letters and word "(c) and (d)" shall be substituted ;

(ii) in sub-item (iii), for the word, brackets and letter "and (c)", the brackets, letters and word "(c) and (d)" shall be substituted ;

(b) in item 7,—

(i) in the opening paragraph, after the words "for sale", the words "or for captive use" shall be inserted ;

(ii) in sub-item (b), after the word and letter "category 'E' ", the words and letter "or category 'F' ", shall be inserted.

8. In the Seventh Schedule to the said Order,—

(i) in Form S.F.O. (1), after Part (b) and the Table thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Part (c)—vanaspati, industrial hard oils, fat-splitting or fatty acid plants.

Name of the oil bearing material	Opening stock of oil bearing Material	Quantity of oil bearing material subjected to direct solvent extraction

Production		Utilisation of oil bearing material		
Oil	De-oiled meal	For solvent extraction	Otherwise disposed of	Closing stock of oil bearing material
				";

(ii) in Forms S.F.O. (2), (3), (4) and (5),—

(a) the heading, for the abbreviation and letter "& 'E' ", the letter and abbreviation, " 'E' & 'F' " shall be substituted;

(b) in the text, for the word and letter "category 'E' ", the word and letters "category 'E' and 'F' shall be substituted.

[2-SEO(1)/76]

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978